| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज<br>**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर**<br><br>**दीवानी वाद सख्या 05/2014**<br>**सीआईएस संख्या 199/2014**<br>**शांन्तिलाल प्रजापत व अन्य बनाम गोपेश व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17.10.2025 | वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की।<br>दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं. 11 व 12 द्वारा अपना जवाब दावा पेश कर वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बंध में प्रतिवादीगण के कब्जे में वसीयत दिनांक 21.08.1925 व प्रोबेट पत्र दिनांक 16.09.1933 का उल्लेख किया गया है। उक्त दस्तावेजात प्रतिवादीगण के कब्जे में है, जो कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः उन्हें प्रतिवादी सं. 11 व 12 से तलब किया जावे।<br>जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 11 व 12 की ओर से निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पूर्व में ही बेचान करके सम्पत्ति से संबंधित सभी दस्तावेजात क्रेता को दिये जा चुके है तथा कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में शपथ पत्र भी पेश किया जा चुका है। किसी प्रकार वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।<br>मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पूर्व में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2018 द्वारा वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी खारिज किया गया था तथा जिसके पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2018 को खारिज किया गया था। जिस आदेश के विरूद्ध वादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 684/2019 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 द्वारा प्रतिवादी सं. 11 व 12 से शपथ पत्र प्राप्त कर प्रार्थना पत्र का पुनः सुनवाई कर निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, जिस आदेश की अनुपालना में प्रतिवादी सं. 11 व 12 द्वारा शपथ पत्र, वसीयत दिनांक 21.08.1925 व प्रोबेट पत्र दिनांक 16.09.1933, सम्पत्ति का विक्रय पूर्व में ही करने व खरीददारों को दस्तावेजात समस्त संभलाने से स्वयं के पास कोई भी वसीयत अथवा प्रोबेट नहीं होने का पेश किया गया है।<br>इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में मूल दस्तावेज वसीयत व प्रोबेट स्वयं के पास नहीं होने बाबत प्रतिवादी सं. 11 व 12 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की | |

| | | |
|---|---|---|
| | अनुपालना में शपथ पत्र पेश किये जाने एवं सम्पत्ति के क्रेताओं को दस्तावेजात देने से तलब करने दस्तावेजात स्वीकार करना न्यायोचित नहीं होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।<br>पत्रावली साक्ष्य वादीगण हेतु नियत की जाती है। प्रकरण टार्गेट पत्रावली है, अतः आदेश दिया जाता है कि आईन्दा आवश्यक रूप से समस्त साक्षीगण के शपथ पत्र व गवाह सूची पेश करे। पत्रावली साक्ष्य वादीगण हेतु दिनांक 30.10.2025 को पेश हो।<br>**(नीरज गुप्ता)**<br>**अपर जिला न्यायाधीश,**<br>**क्रम–3, अजमेर** | |